

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं०-15/आरोप (औरंगाबाद) 02-121/2023-.....(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

समाहर्ता, औरंगाबाद के पत्रांक-4123, दिनांक-19.09.2023 द्वारा श्री अंशु कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, औरंगाबाद सदर के विरुद्ध दाखिल-खारिज वाद सं०-2160/2022-23 को विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए लगभग 05 माह लंबित रखने के उपरांत अस्वीकृत करने, दाखिल-खारिज वाद के निस्तारण में विभागीय निदेश का उल्लंघन करने, दाखिल-खारिज वाद सं०-3909/R27/2021-22 को खेसरावार जमाबंदी कायम होने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अस्वीकृत करने, पुनः उक्त भूमि के दाखिल-खारिज हेतु दायर वाद सं०-1188/2022-23 को स्वीकृत करने, अस्वीकृत मामला की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकार नहीं होने के बावजूद पुनः सुनवाई कर स्वीकृत करने, अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए विभागीय अनुदेश एवं नियम का पालन नहीं करने, गैर-मजरूआ मालिक भूमि हेतु दायर दाखिल-खारिज वाद सं०-4111/R27/2022-23 को स्वीकृत करने, मौजा-बराटपुर, थाना नं०-559 के खाता सं०-270, प्लॉट सं०-547, रकबा-07 डी० एवं खाता सं०-270, प्लॉट सं०-01, रकबा-03 डी० भूमि के लिए दायर क्रमशः दाखिल-खारिज वाद सं०-2388/R27/2022-23 एवं 1920/R27/2022-23 में गैर-मजरूआ मालिक भूमि होने का प्रतिवेदन दर्शाते हुए अस्वीकृत करने, एक ही प्रकृति की भूमि को एक बार स्वीकृत करने एवं एक बार अस्वीकृत करने, मापी हेतु दिये गये आवेदन पत्र के आलोक में ससमय मापी नहीं कराने एवं अमीन के मापी प्रतिवेदन पर अपना सुस्पष्ट मत व्यक्त नहीं देने एवं आवेदक को अमीन मापी का नकल देने में आनाकानी करने जैसे आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त आरोप पत्र में गठित गंभीर आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-1967(15) दिनांक-03.11.2023 द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुए मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया गया।

3. आरोप पत्र में गठित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-46(15) दिनांक-09.01.2024 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गई जिसके आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक-31.05.2024 से बचाव का लिखित अभिकथन विभाग में समर्पित किया गया।

आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-194(15) दिनांक-06.02.2024 द्वारा समाहर्ता, औरंगाबाद से मतव्य की मांग की गई जिसके आलोक में समाहर्ता, औरंगाबाद द्वारा मतव्य उपलब्ध कराया गया जिसकी समीक्षोपरांत बचाव का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-13888 दिनांक-21.07.2023 की कंडिका-5(iii) में निहित प्रावधानों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-27.08.2024 को आयोजित बैठक में श्री सिंह को निलम्बन मुक्त किये जाने हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प सं०-2120(15) दिनांक-30.09.2024 द्वारा श्री अंशु कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, औरंगाबाद सदर को निलम्बन मुक्त किया गया।

5. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप गंभीर होने एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं०-2327(15) दिनांक-21.11.2024 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, गया को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, औरंगाबाद को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, गया के पत्रांक-245 दिनांक-16.01.2026 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

7. आरोपी पदाधिकारी से प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-774(15) दिनांक-09.06.2026 से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा कार्यालय चकबंदी पदाधिकारी, राजपुर, बक्सर के पत्रांक-87, दिनांक-13.06.2026 से अपना अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को समर्पित किया गया।

8. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं प्रमाणित आरोप के संदर्भ में श्री सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन) के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा दाखिल-खारिज वाद के निष्पादन में 07 माह का विलंब किया गया है साथ ही अपीलीय प्राधिकार नहीं होने के बावजूद अस्वीकृति के मामले में पुनः सुनवाई कर अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए विभागीय अनुदेश एवं दाखिल-खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा एक ही खाता खेसरा की भूमि के दाखिल-खारिज को एक बार अस्वीकृत एवं पुनः स्वीकृत किया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से अपने अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन) में दाखिल-खारिज के निष्पादन में विलंब एवं दाखिल-खारिज के लिए गलत जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के लिए राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी को जिम्मेवार ठहराते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने एवं गलत जमाबंदी को रद्द किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने मात्र के आधार पर अपने पदीय उत्तरदायित्व/कर्तव्य से इतिश्री करते हुए अपनी जबाबदेही से विमुख होने का प्रयास किया गया है। राजस्व कर्मचारी द्वारा विलंब से प्रतिवेदन देने के लिए यदि आरोपी पदाधिकारी द्वारा समुचित पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया गया होता तो दाखिल-खारिज के निष्पादन में 07 महीने विलंब की स्थिति नहीं बनती। इससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी का अपने अधीनस्थ कर्मियों एवं कार्यालय प्रबंधन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है, जो उनके कमजोर नेतृत्व क्षमता का द्योतक है। अंचल अधिकारी का दायित्व केवल अपने अधीनस्थ कर्मियों के प्रतिवेदन के आधार पर आँख मूँदकर दाखिल-खारिज की स्वीकृति/अस्वीकृति देना मात्र नहीं होता है बल्कि स्थलीय/अभिलेखीय साक्ष्यों/तथ्यों का अवलोकन/परिशीलन करते हुए वादों का निष्पादन किया जाना अपेक्षित होता है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए अस्वीकृति के मामले में पुनः सुनवाई करते हुए वाद को स्वीकृत किया गया है जबकि अस्वीकृति के मामले में भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील करने हेतु आवेदक को निदेशित किया जाना चाहिए था। इसका अभिप्राय है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने निजी स्वार्थवश अथवा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त चूक की गई है।

दाखिल-खारिज वाद सं०-2160/2022-23 में दिनांक-03.08.2022 को श्री राघवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह द्वारा आपत्ति आवेदन दिया गया। तदोपरांत लगभग 04 माह बाद अंचल अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा संबंधित पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया एवं दिनांक-22.12.2022 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी। आपत्ति के आलोक में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन द्वारा दिनांक-02.01.2023 को प्रतिवेदन दिया गया, जिसमें श्री रवि कुमार सिंह का भूमि पर दखल-कब्जा नहीं होने के कारण वाद की सुनवाई के उपरांत दिनांक-01.03.2023 को दावा अस्वीकृत कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में 07 महीने का समय लिया गया, जो विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा 75 दिनों से अधिक है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्ति पर नोटिस भेजने में भी विलंब किया गया। अतः स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा नामांतरण प्रक्रिया का अनुश्रवण नहीं किया गया एवं वाद के निष्पादन में विलंब किया गया।

दाखिल-खारिज के निष्पादित वादों का अपीलीय प्राधिकार नहीं होने के बावजूद आरोपी पदाधिकारी द्वारा एक ही खाता, खेसरा की भूमि को एक बार अस्वीकृत एवं और पुनः दूसरी बार स्वीकृति प्रदान की गयी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा वाद निष्पादन के दौरान तथ्य की सत्यता का सही से विश्लेषण नहीं किया गया। स्पष्ट है कि इनके द्वारा विभागीय आदेश/नियम का पालन नहीं किया गया है।

संबंधित राजस्व कर्मचारी से रैयती भूमि का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत दाखिल-खारिज वाद को दिनांक-23.01.2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी। पुनः खाता सं०-270 में स्थित भूमि का दाखिल-खारिज वाद सं०-2388/2022-23 एवं 1920/2022-23 की सुनवाई के दौरान भूमि गैर-मजूरुआ मालिक खाते की होने के कारण दाखिल-खारिज वाद को अस्वीकृत किया गया। इस प्रकार एक ही खाते की भूमि के दाखिल-खारिज वाद को स्वीकृति प्रदान की गयी एवं दूसरे व्यक्ति के दाखिल-खारिज वाद को अस्वीकृत किया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा वाद निष्पादन के दौरान भौतिक निरीक्षण किया जाना चाहिए था, जिससे कि भूमि की प्रकृति एवं दखल-कब्जा की स्थिति स्पष्ट होती। इनके द्वारा वाद के निष्पादन में सतर्कता एवं सभी पहलुओं की समीक्षा नहीं की गयी। स्पष्ट है कि उनके द्वारा वाद के निष्पादन में विभागीय प्रावधान की अनदेखी की गयी। आरोपी पदाधिकारी के अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन) में कोई भी ऐसा साक्ष्य/तथ्य नहीं है जो उनके बचाव में कारगर सिद्ध हो सके बल्कि पुरानी बातें ही दुहराई गई हैं। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी का अभ्यावेदन/निवेदन (द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन) स्वीकार योग्य नहीं है।

9. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

10. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण-पृच्छा अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अंशु कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, औरंगाबाद सदर, औरंगाबाद सम्प्रति अंचल अधिकारी, पलासी, अररिया के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(v) के तहत "संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(डॉ० महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

स्पीड-पोस्ट
ई-मेल

ज्ञापांक-15/आरोप (औरंगाबाद) 02-121/2023-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :-समाहर्ता, औरंगाबाद एवं अररिया/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद एवं अररिया/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/ श्री अंशु कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, पलासी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (औरंगाबाद) 02-121/2023-.....1405.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-02/9/26.....

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री अंशु कुमार सिंह के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा-15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

3/9/26
(डॉ0 महेन्द्र पाल)
अपर सचिव।